

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प तिहावली

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी तिहावली व भू.अ.नि. तिहावली की तथा तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार ग्राम सदीनसर तहसील रामगढ़-शेखावाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी सम्बत 2074-75 खता संख्या 172 नया 170 पुराना में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व ति में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्रसं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	सदीनसर	172 नया 170 पुराना	रामावतार पुत्र मंगलचन्द जगदीश प्रसाद पुत्र मंगलचन्द	रामावतार पुत्र मंगलाराम जगदीश प्रसाद पुत्र मंगलाराम दुरुस्त
	रहन व कल्प प्रविष्टि मशावन			

क्रमांक :- 1913 / 31/5/18
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार रामगढ़-शेखावाटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रामावतार व जगदीश प्रसाद 012 सदीनसर को सूचनायें।
3. रक्षित पत्रावली।

उपपीठासीन अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)
ग्राम पंचायत

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)
ग्राम पंचायत

4/6

012